



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1759]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 29, 2013/श्रावण 7, 1935

No. 1759]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 29, 2013/SRAVANA 7, 1935

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2013

का.आ. 2308(अ).— नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 13 की उप धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री के परामर्श से श्री जलज श्रीवास्तव, आई ए एस (ए जी एम यू: 1984) को, एतद्वारा, सुश्री अर्चना अरोड़ा, आई ए एस (ए जी एम यू:83) के स्थान पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष नियुक्त करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 14 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1628 (अ) में, श्री जलज श्रीवास्तव द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने की तारीख से, निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 में, उप पैरा (क) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निम्नलिखित उप पैरा तथा प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) धारा 4 की उप धारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत, दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ परामर्श करके श्री जलज श्रीवास्तव को अध्यक्ष नियुक्त करती है।”

[फा. सं. 14016/04/2013-यू टी एस-1]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 18 जनवरी, 2011 की संख्या 101 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् इसे दिनांक 24 जून, 2011 की संख्या का. आ. 1453(अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011 की संख्या का. आ. 1628(अ), दिनांक 17 अप्रैल, 2012 की संख्या का. आ. 835 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2012 की संख्या का. आ. 1737(अ), दिनांक 9 जुलाई, 2013 की संख्या का. आ. 2133(अ) तथा दिनांक 9 जुलाई, 2013 की संख्या का. आ. 2134(अ) के तहत संशोधित किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2013

S.O. 2308(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 4, read with sub-sections (1) and (2) of section 13 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), the Central Government, in consultation with the Chief Minister of the National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Jalaj Srivastava, IAS (AGMU:1984) to be the Chairperson of the New Delhi Municipal Council, vice Ms. Archana Arora, IAS (AGMU:83), and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, number S.O. 1628(E) dated the 14th July, 2011 with effect from the date Shri Jalaj Srivastava assumes charge, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, for sub-paragraph (a) and the entries relating thereto, the following sub-paragraph and entries shall be substituted, namely:-

“(a) under clause (a) of sub-section (1) of section 4, in consultation with the Chief Minister of Delhi, appoints Shri Jalaj Srivastava as Chairperson”

[F. No. 14016/04/2013-UTS-I]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.

The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number 101(E) dated the 18th January, 2011 and subsequently amended vide No. S.O. 1453(E) dated 24th June, 2011, S.O. 1628(E) dated 14th July, 2011, S.O. 835(E) dated 17th April, 2012, S.O. 1737(E) dated 3rd August, 2012, S.O.2133(E) dated 9th July, 2013 and S.O. 2134(E) dated 9th July, 2013.